

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 629
(दिनांक 23.07.2026 को उत्तर के लिए)

केन्द्रीय सिविल सेवा की समीक्षा

629. श्री अशोक सिंह:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत पांच वर्षों के दौरान यूपीएससी की सीएसई के माध्यम भर्ती किए गए विभिन्न केन्द्रीय सिविल सेवाओं (एआईएस के अलावा) के कितने अधिकारी अपनी मूल सेवा से बाहर प्रतिनियुक्ति या असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं;
- (ख) क्या सरकार ने प्रौद्योगिक अपनाने के कारण डाक और दूरसंचार जैसी कुछ सेवाओं की प्रासंगिकता का आकलन करने के लिए कोई समीक्षा की है;
- (ग) क्या प्रौद्योगिकीय बदलावों और प्रतिनियुक्ति पर रहने वाले अधिकारियों की संख्या को देखते हुए आईआरएस जैसे कैडर की स्वीकृत संख्या की कोई समीक्षा की गई है; और
- (घ) क्या सरकार ऐसी सेवाओं और संवर्ग संख्या की समीक्षा करने, बेकार हो चुकी सेवाओं को पुनर्गठित करने और नई सेवाएँ बनाने पर विचार रखती है, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क): कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय स्टाफिंग योजना, गैर-केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के तहत केन्द्रीय सिविल सेवा अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति या समुदेशन (असाइनमेंट) तथा मुख्य सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित कार्य देखता है। जहां तक संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा संचालित सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) के माध्यम से भर्ती किए गए केन्द्रीय सिविल सेवा (एआईएस के अतिरिक्त) के अधिकारियों का संबंध है, उपलब्ध सूचना के अनुसार, विगत पांच वर्षों के दौरान उपर्युक्त योजनाओं/नियुक्तियों में कुल 1,344 ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने अपने मूल संवर्ग से बाहर प्रतिनियुक्त/समुदेशन पर सेवा प्रदान की है और इसमें आज की तारीख तक फिलहाल सेवारत अधिकारी भी हैं।

उपर्युक्त नियुक्तियों के अतिरिक्त, अन्य प्रतिनियुक्ति/समुदेशन, देश भर के मंत्रालयों/विभागों के संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों (सीसीए) द्वारा किए और प्रशासित किए जाते हैं और ऐसी नियुक्तियों के संबंध संगत रिकॉर्ड का रख-रखाव, सीसीए द्वारा रखा जाता है।

(ख) से (घ): संवर्ग समीक्षा और पुनर्गठन, एक सतत् प्रक्रिया है। सीसीए द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों के आधार पर संवर्गों की संस्वीकृत संख्या की समीक्षा, संवर्ग समीक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाती है।

भारतीय राजस्व सेवा की अंतिम संवर्ग समीक्षा, वर्ष 2013 में की गई थी और भारतीय दूरसंचार सेवा तथा भारतीय डाक सेवा, दोनों की अंतिम संवर्ग समीक्षा वर्ष 2016 में की गई थी। संवर्ग समीक्षा के दौरान, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के स्वचालन और अंगीकरण, कारोबारी प्रक्रिया के पुनःनिर्धारण, संगठनात्मक अधिदेश में परिवर्तन, प्रतिनियुक्ति संबंधी अपेक्षाओं आदि जैसे सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए कार्मिकशक्ति का आकलन किया जाता है।
